

सं ए/26041/VI सी पी सी/मुप्रअ/सीपी

रक्षा मंत्रालय

सं स (प्रशि) एवं मु प्र अ कार्यालय

'ई' ब्लॉक, इलहौजी रोड,

नई दिल्ली 110011

दिनांक : 22 अक्टूबर 2014

सेवा में,

सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायुसेनाध्यक्ष

एकीकृत रक्षा स्टाफ के अध्यक्ष, मुख्यालय आई डी एस

अंतर सेवा संगठनों के प्रधान प्रमुख


विषय: सशस्त्र सेना मुख्यालय (स से मु) सिविल सेवा के संवर्ग पुनर्संरचना के संदर्भ में।

1. मुझे सशस्त्र सेना मुख्यालय (स से मु) सिविल सेवा की निम्नलिखित पदों के संवर्ग पुनर्संरचना संबंधी राष्ट्रपति जी की मंजूरी सूचित करने का निदेश हुआ है:

क्रम संख्या	वेतन मान	पदों की संख्या	
		वर्तमान प्राधिकार	संशोधित प्राधिकार
01.	प्रधान निदेशक (वेतन बैंड-4, ग्रेड वेतन 10,000/- रु)	04	4(0)
02.	निदेशक (वेतन बैंड-4, ग्रेड वेतन 8700/- रु)	21	23 (+02)
03.	संयुक्त निदेशक (वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन 7600/- रु)	83	133 (+50)
04.	उप निदेशक (वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन 6600/- रु)	303	340 (+37)
05.	अनुभाग अधिकारी (वेतन बैंड-2, ग्रेड वेतन 4800/- रु)	778	808 (+30)
06.	सहायक (वेतन बैंड-2, ग्रेड वेतन 4600/- रु)	1989	1870 (-119)
	कुल	3178	3178

160 पदों की सीमा के अंतर्गत परस्पर लचीलापन

2. निदेशक/प्रधान निदेशक के ग्रेडों में पदोन्नति कुल मिलाकर निर्धारित 160 पदों और आगे प्रधान निदेशक के ग्रेड में 11 पदों (4 वर्तमान पदों पर नियमित और 7 स्वस्थाने), निदेशक के ग्रेड में 59 पदों (23 नियमित और 36 स्वस्थाने) पर वर्तमान पदोन्नति नियमों व प्रक्रियाओं एवं डी ओ पी एंड टी के तथा सं लो से आयोग के परामर्श के अनुपालन में की जाएगी। स से मु सि से भर्ती नियमों में भी तदनुसार यथासमय संशोधन किया जाएगा
3. प्रधान निदेशक (सं स स्तर) के ग्रेड में 07 पदों के प्रचालन के संबंध में आवश्यक आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। पदों के आबंटन संबंधी प्रशासनिक आदेश भी इस कार्यालय द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।
4. स से मु सिविल सेवा में पदों के प्राधिकार हेतु दिनांक 22 फरवरी 2008 के सरकारी पत्र सं. 24315/सीआर/मुप्रअ/सीपी तथा 18 मार्च 2008 के समसंख्यक शुद्धि पत्र, दिनांक 12 नवंबर 2010 के पत्र सं. ए/24315/सीआर/सीएलआर/मुप्रअ/सीपी, दिनांक 04 जून 2008 के पत्र सं. 24315/सीआर/मुप्रअ/सीपी, दिनांक 15 मार्च 2011 के पत्र सं. ए/24315/सीआर-निदे/मुप्रअ/सीपी तथा 16 जनवरी 2013 के पत्र सं. ए/24664/एंटेगेशन/स से मु/मुप्रअ/सीपी को उपर्युक्त पैरा-1 को ध्यान में रखते हुए आशोधित किया जाता है।
5. यह पत्र वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के दिनांक 21 अक्टूबर 2014 के अं वि सं 2(34)/ई. III डेस्क/2014 तथा रक्षा मंत्रालय (वित्त) के दिनांक 21 अक्टूबर 2014 के अं वि सं 6(2)/एमओ/2014-448 के अंतर्गत दी गई सहमति से जारी किया जाता है।

  
(के एम पी सिंह)

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

प्रतिलिपि:-

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

ई-III डेस्क : सूचनार्थ

रक्षा लेखा महानियंत्रक, नई दिल्ली

लेखा परीक्षा महानिदेशक (रक्षा सेवाएं), नई दिल्ली

प्र र ले नि (मुख्या), नई दिल्ली

प्र र ले नि (नौसेना), मुंबई

प्र र ले नि (वायुसेना), नई दिल्ली

उप वि स (मु का)

सं स (प्रशि) एवं मुप्रअ के प्र नि स उप मुप्रअ (का) मुप्रअ/भर्ती-I मुप्रअ/का-I	निदे (मा सं) के नि स उप मुप्रअ (प्र) मुप्रअ/भर्ती-II मुप्रअ/का-II	निदे (सं एवं प्र) के नि स उप मुप्रअ (अनु स क) मुप्रअ/भर्ती-III
--	--	--

मुप्रअ/ईडीपी – इस पत्र को मुप्रअ वेवसाइट पर डालने के लिए  
रक्षा मंत्रालय-एकीकृत मुख्यालय (सेना), रक्षा मंत्रालय-एकीकृत मुख्यालय (नौसेना), रक्षा  
मंत्रालय-एकीकृत मुख्यालय (वायुसेना) तथा आईडीएस मुख्यालय की शाखाओं के सभी  
समन्वय अनुभाग

सभी अंतर सेवा संगठनों के समन्वय अनुभाग  
सशस्त्र सेना अधिकरण (एएफटी), प्रधान पीठ, नई दिल्ली  
से मु के सभी मान्यता प्राप्त एसोसिएशन